सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–52, कृषि उपज मण्डी के सामने, सीकर रोड़ पलसाना (सीकर)
फोन नम्बर 01576–223862 फैक्स नम्बर 01576–223863
E-mail : sikardairy@gmail.com

1	निविदा का नाम	.	सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पलसाना (सीकर) के डेयरी संयन्त्र व प्रशासनिक कार्यालय/फिल्ड कार्य/विपणन शाखा/दुग्ध अवशीतन/इकाईयां आदि पर कार्य सम्पादित करवाने हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल/टेक्नीकल/पेशेवर योग्यताधारी/जोबबेसिस/मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु निविदा
2	निविदा संदर्भ	.	ई–निविदा सूचना – सीदुसं/एमडी/ई–निविदा सूचना/2021/2376–84 दिनांक 24.9.2021
3	निविदा की अनुमानित लागत	.	रू. पांच करोड़
4	निविदा की अवधि		तीन वर्ष
5	अरनेस्ट मनी (अमानत राशि)	.	रू. 10,00,000/– का डी.डी. (अक्षरे दस लाख रूपये) (सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना–सीकर के पक्ष में)
6	निविदा शुल्क	.	रू. 2000/– का डी.डी. (अक्षरे दो हजार रूपये) (सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना–सीकर के पक्ष में)
7	निविदा प्रक्रिया शुल्क	.	रू. 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट (अक्षरे एक हजार रूपये) (Managing Director, RISL payable at Jaipur.)
8	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	.	01.10.2021 को दोपहर बाद 3:00 बजे से 20.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक
9	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	.	20.10.2021 सांय 5.00 बजे तक
10	निविदा शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक एवं समय	.	21.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक
11	तकनीकी निविदा भाग अ खोलने की दिनांक एवं समय	.	21.10.2021 को 1.00 बजे
12	निविदा खोलने का स्थान	.	Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., N.H.52, Jaipur road, Palsana, Pin Code 332402 -Sikar (Raj,)
13	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	.	बाद में सूचित किया जावेगा।

ई–टेंडर हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

(अ) सामान्य

1. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक संख्या एफ.1(1) एफ.डी./जी.एफएण्डए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नम्बर 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रू. अधिक राशि के कार्यो के लिये 1000/– रू. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर चैक मेनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

(ब) बिडिंग डाक्यूमेंट

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 01.10.2021 को दोपहर बाद 3:00 बजे से दिनांक 20.10.2021 को सांय 5:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते है। इन निविदाओं को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएं।

2. उक्त कार्य की निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 01.10.2021 को प्रातः 3:00 बजे से दिनांक 20.10.2021 को सांय 5:00 बजे तक जमा कराए जा सकते है एवं प्राप्त निविदाओं में से योग्य निविदादाताओं की तकनीकी निविदा इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर कमेटी द्वारा दिनांक 21.10.2021 को दोपहर 1:00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।

   अ. निविदाओं की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
   ब.तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्राप्ति कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांक सफल निविदादाताओं को सूचित कर दिया जावेगा।

3. निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रताका विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है।

4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना–सीकर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अतिरिक्त शुल्क, (निविदा प्रक्रिया शुल्क) Managing Director, RISL payable at Jaipur. के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संबंधित कार्यालय में तकनीकी निविदा खोलने के एक दिन पूर्व तक जमा कराना आवश्यक है।

5. धरोहर राशि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेगे।

6. **ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–**
   अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
   ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैघ डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
   स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।
   द. ऑन लाइन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जाएगी।
   य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
   र. कोई भी टैडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिममेदार विभाग नहीं होगा।
   ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
   व. एनेक्जर 1.1 से 1.4 तक ई निविदा प्रक्रिया के भाग है। अतः प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड करें।

7. निविदा सूचना इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
8. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

परिशिष्ठ –1

Annexure 1.1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;

f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g. disclose conflict of interest, if any; and

h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure 1.2 :Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., N.H.52, Jaipur road, Palsana-Sikar (Rajasthan) for procurement of …………………………. in response to their Notice Inviting bid No……………… Dated ……….. I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: **Signature of Bidder**

Place: **Name:**

Designation:

Address:

Annexure 1.3 :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., N.H.52, Jaipur road, Palsana-Sikar (Rajasthan). The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director, Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan).

1. Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

2. The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (I) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   (a) Determination of need of procurement.
   (b) Provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
   (d) Cancellation of a procurement process.
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

   (a) An appeal under Para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
   (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filing appeal.

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...............................of…………………...........
Before the……................................. (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal ....
   ………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………
   ….. ……………….............................. (Supported by an Affidavit)

7. Prayer:……………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………........

Place …………………………………….
Date……………………………………..

Appellant's Signature

Annexure 1.4 :Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity willcorrect arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction ofsubtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(ii) Repeat Orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided inthe bidding documents, on the rates and conditions given inthe contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat ordershall be as under :-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall beprocured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

परिशिष्ट –2

निविदा स्वीकृति पत्र
(फर्म/एजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावें)

प्रबन्ध संचालक,
सीकर एवं झुंझुंनू जिला दु.उ.स.सं.लि., पलसाना
सीकर (राज0)

विषय :– निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं नियम पर सहमति बाबत् ।

निविदा संदर्भ :–

निविदा आई.डी.न. :–

कार्य का नाम :–

महोदय,

1.मैने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र प्राप्त/वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया है।

2.मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो, परिशिष्ट, नोटिस आदि जो कि कॉनट्रेक्ट एग्रीमेन्ट का हिस्सा है, को पढ़ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तो का पालन करेगें ।

3.सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मै/हम उक्त निविदा के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेगें ।

4.मै/हम निविदा प्रपत्र एवं समय–समय पर जारी संशोधन सहित निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते है ।

5.यदि मैरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, प्रबन्धन के पास उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्प पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले हुए वह मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा प्रपत्र को निरस्त करने के साथ–साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

उपरोक्त की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –3

– : शपथ पत्र :–

(500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मै. .... पुत्र श्री ....
स्थायी पता .... मोबाईल नम्बर ....
ई–मेल आई.डी. .... सत्यापित करता हूॅ कि –

1.उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध संघ की सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।
2.निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार मांगे गये दस्तावेजों आदि की स्वहस्ताक्षर युक्त सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहा हूॅं।
3.मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी एवं राज्य के जिला दुग्ध संघो/को–ऑपरेटिव इकाई (पशु आहार संयंत्र/डेयरी प्लान्ट/बड़ी औधोगिक इकाई इत्यादि) के द्वारा कभी भी मुझे ब्लेकलिस्ट नहीं किया हुआ है।
4.मै. या मेरा रिश्तेदार दुग्ध व्यवसाय व संघ के प्रतिस्पर्धी डेयरी से जुड़ा नहीं है। आरसीडीएफ से सम्बन्धित अन्य संघो में अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ है । अगर दर स्वीकृति के उपरान्त भी यह पाया जाता है तो मेरी संघ में जमा समस्त राशियां जब्त करते हुए टेंण्डर निरस्त कर दिया जावे।
5.यह है कि मै/हम जिला दुग्ध संघ सीकर अथवा संघ से सम्बद्व किसी भी समिति के कर्मचारी अथवा संघ अथवा समितियों के संचालक मण्डल के सदस्य अथवा उनके आश्रित नहीं है ।
6.मैने/हमने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली है तथा मै/हम इन समस्त शर्तो का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूॅ ।
7.यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावे ।
8.साथ ही यदि तकनीकी निविदा में मै.असफल रहता हूॅ तो मेरी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम .... (आवेदक)

स्थान ....

मोबाईल नम्बर ....

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृपया

फोटो चिपकाये

भाग –अ तकनीकी निविदा

नोट क्र.सं. 1 से 37 तक की सूचनाए वेबसाईट पर अपलोड करें ।

1.	श्रमिक निविदादाता का नाम	
2.	निविदादाता / फर्म / व्यक्ति / संस्था का नाम	
3.	प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप	
	प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप का नाम मय पता	
	प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन न.	
4.	निविदादता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) (ई–मेल आई.डी.)	
5.	अमानत राशि 10,000,00 / –रूपये दस लाख मात्र (सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पलसाना–सीकर के पक्ष में)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
6.	निविदा शुल्क रू. 2000 / – रूपये दो हजार मात्र (सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पलसाना–सीकर के पक्ष में)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
7.	निविदा प्रक्रिया शुल्क रू.1000 / – एक हजार मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Managing Director, RISL payable at Jaipur.)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

8	निविदादाता का स्थाई पता (साक्ष्य के लिए आधार कार्ड की सत्यापित प्रति)	
9.	निविदादाता / फर्म का पैन नम्बर (फोटो प्रति अपलोड करें)	
10.	निविदादाता का जीएसटी नम्बर की प्रति अपलोड करें	
11.	स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित केन्सल चैक अपलोड करें (निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में ई.एम.डी. लौटाने हेतु)	
12.	परिशिष्ट 1 के एनेक्चर 1.1 से लेकर 1.4 तक के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर लोड करें ।	
13.	परिशिष्ट 2 के अनुसार निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तो पर सहमति	
14.	परिशिष्ट 3 शपथ पत्र सहित	
15.	परिशिष्ट 4 के अनुसार शपथ पत्र	
16.	परिशिष्ट 8 के अनुसार चाही गई सूचनाए	
17.	संलग्न शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदादाता द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड करें ।	
18.	फूट लाईन्सेस रजिस्ट्रेशन नम्बर अपलोड करें	
19.	श्रमिक विभाग द्वारा कोन्टेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड अबोलिशियन एक्ट 1970 के तहत जारी लाईसेन्स संख्या अपलोड करें	
20.	कर्मचारी भविष्य निधी विभाग कूट संख्या अपलोड करें।	
21.	आयकर स्थाई लेखा संख्या अपलोड करें	
22.	ई.एस.आई. कूट संख्या अपलोड करें	
23.	दो सौ पचास से अधिक श्रमिक व मैन पावर लगाने का श्रम विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र अपलोड करें	
24.	राजस्थान दूकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करें ।	
25.	गत तीन वर्षो में प्रतिवर्ष पांच करोड़ रूपये से अधिक का टर्न ओवर की आयकर रिर्टन एवं गत तीन वर्षो की ऑडिटेड बेलेन्ससीट अपलोड करें	
26.	राजस्थान राज्य डेयरी दुग्ध संघो में कार्य करने का गत पांच वर्ष या अधिक का कार्य अनुभव जो सभी प्रकार के मैनपावर व जनरल लेबर व सभी प्रकार के जॉब बेसिस कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें	
27.	संस्थान की पी.एफ.निरीक्षण रिर्पोटे तीन वर्ष की अपलोड करें	
28.	संस्थान की ई.एस.आई. निरीक्षण रिर्पोट तीन वर्ष की अपलोड करें	
29.	संघ का सदस्य होने के प्रमाण स्वरूप जमा शुल्क रसीद की सत्यापित प्रति अपलोड करें	

30	राजस्थान राज्य डेयरी दुग्ध संघो मेंमैनपावर/प्रोफेशनल/जॉब बेसिस कार्य का समान आकार का कार्य करने का गत पांच वर्ष का अनुभव (पांच वर्ष से अधिक अनुभव प्राप्त को प्राथमिकता दी जायेगी) अनुभव की प्रमाणिकता के लिए कार्य आदेशो की प्रति अपलोड करें।	
31	राजस्थान राज्य के दुग्ध डेयरी संघो में सौ से अधिक मैनपावर उपलब्ध करवाने का दस्तावेज/प्रमाण अपलोड करें ।	
32	श्रम विभाग द्वारा 250 से अधिक श्रमिक उपलब्ध करवाने का वैध लाईसेन्स अपलोड करें	
33	वह निविदादाता जो वर्तमान या पूर्व में किसी भी प्राईवेट प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के संयंत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहा हो या किया हुआ हो इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगा। यदि नहीं तो 100 रूपये का शपथ पत्र अपलोड करें ।	
34	वह निविदादाता जो वर्तमान या पूर्व में किसी भी प्राईवेट प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के संयंत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहा हो या किया हुआ हो इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगा। यदि नहीं तो 100 रूपये का शपथ पत्र अपलोड करें ।	
35	राजस्थान राज्य के किसी भी डेयरी संघ में निविदादाता द्वारा ठेका नही छोड़ा गया हो/सिक्योरिटी/अमानत राशि जप्त नहीं हुई हो अथवा ब्लेकलिस्टेट नहीं हो का 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र अपलोड करे।	
36	पी.एफ. विभाग द्वारा कभी डिफालटर घोषित नहीं किया गया हो का शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नौटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित किया हुआ अपलोड करें।	
37	ई.एस.आई. विभाग द्वारा कभी डिफालटर घोषित नहीं किया गया हो का शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नौटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित किया हुआ अपलोड करें।	
निविदा प्रपत्र के भाग अ से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 से 37 तक का कोई भी आवश्यक दस्तावेज/सूचना पूर्ण नहीं होने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत/निरस्त कर दी जायेगी ।		
सफल निविदादाता को रूपये 25,00,000.00 पच्चीस लाख रूपये (रूपये 10,00,000 दस लाख रूपये नकद एवं 15,00,000 पन्द्रह लाख रूपये की बैंक गारन्टी) की सिक्योरिटी संघ में जमा करवानी होगी ।		

नोट :– वित्तीय भाग में प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक दरें केवल निर्धारित शीट में प्रस्तुत की जानी चाहिए ओर निर्धारित शीट में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा की गयी घोषणा

मैने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य एवं विशेष शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवंम अर्नेस्टमनी की राशि का ड्राफ्ट कमांक .... बैंक .... रूपये 10.00 लाख (दस लाख) का आपके पक्ष में देय संलग्न/अपलोड कर रहा हूँ में दुग्ध संघ सीकर के डेयरी संयत्र/प्लान्ट मशीनरी/अवशीतन केन्द्र/ मैनपावर से सम्बन्धित कार्य जो निविदा में वर्णित शर्तो के अनुसार सम्पादित करने के लिए अनुबन्ध करने हेतु भाग अ की शर्तो एवं निविदा के भाग ब में प्रस्तुत दरों पर कार्य करने को तैयार/बाध्य/सहमत हूँ ।

(1) निविदादाता का नाम पता अमानत राशि
रू. ....
मय टेलीफोन नम्बर द्वारा बैंक ड्राफ्ट न. ....बैंक
.... दिनांक ....
....

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–4

सीकर डेयरी
सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

निविदा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य नियम

1.निविदा प्रपत्र के भाग अ में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व निविदा शर्तो का विवरण दिया गया है निविदादाता को अपनी सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होगें। समस्त दस्तावेजो की प्रति तथा अमानत राशि का ड्राप्ट स्केन कर संलग्न करते हुए पृथक रूप से अपलोड किये जाने है ।

2.निविदा प्रपत्र का भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक निर्धारित प्रपत्र में अलग से अपलोड किया जाना है दर शब्दो एवं अंको में अलग–अलग स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए।

3.निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिए प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग अ में चाही गयी वांछित सूचनाए एवं दस्तावेजो सम्बन्धित कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं के सम्बन्धित भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

4.निविदादाता द्वारा प्रस्तुत भाग अ में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रति या निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5.निविदा प्रपत्र के भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अपलोड किया जाना है। निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये भाग ब के नमूना प्रपत्र में दरें भरी हुई नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

6.अमानत राशि निविदा प्रपत्र फीस, प्रोसेसिंग फीस के डीडी. संघ में जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा के अ भाग तकनीकी निविदा नहीं खोली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर एवं झुंझुंन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

एन.एच.52, कृषि उपज मण्डी के सामने पलसाना जिला सीकर (राज0)
फोन न. 01576–223862,, फैक्स न.01576–223863

ई–निविदा फार्म भाग– अ

(निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वैधानिक सूचनाए)

1.निविदादाता का नाम :– ....

2.निविदा प्रस्तुत करने की हैसियत/अधिकार :– ....

3.अधिकार पत्र सलंग्न करे

1.फर्म का नाम (प्रोपराईटर) :– ....

2.पार्टनशिप फर्म :– ....

(पार्टनर का नाम) :– ....

3.कम्पनी :– ....

(डायरेक्टर का नाम) :– ....

4.अन्य :– ....

5.स्थानीय पता :– ....

6.स्थायी पता :– ....

7.टेलीफोन नम्बर :– ....

लेण्ड लाईन नम्बर :– ....

फैक्स नम्बर :– ....

मोबाईल नम्बर :– ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

ई–निविदा की शर्ते एनेक्चर–1

सीकर एवं झुंझुंन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, एन.एच.52, कृषि मण्डी के सामने पलसाना जिला सीकर (राज0)

ई–निविदा प्रपत्र भाग–अ की शर्ते/निर्देश/पात्रता

नोट :–

निविदादाता निविदा भरने से पूर्व कृपया पुरे निर्देश पढ़कर समझे एवं यदि समझ में नहीं आवे तो प्रभारी प्लान्ट/प्रभारी लेखा/प्रभारी एफ.ओ./प्रभारी संस्थापन से वार्ता कर समझ सकते है पूरी समझ में आने के पश्चात निविदा भरे । बाद में किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

1.निविदाएं सीलबन्द लिफाफे में निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तो के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी व पत्र व्यवहार करने का पता, टेलीफोन नम्बर आदि बिना किसी उपलेखन, कांट–छांट के प्रविष्टियां पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि प्रत्येक शर्त को पढ़ लिया व समझ लिया है, अपने हस्ताक्षर कर, जमा कराना होगा ।

2.निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ सलंग्न निविदा की शर्ते जो निविदा प्रपत्र का अभिन्न अंग है पूर्ण रूप से पढ़कर, समझकर एवं सहमत होने पर पूर्ण रूप से भरकर सहमति/स्वीकारोक्ति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में निविदादाता के स्वंय के हस्ताक्षर करके संघ में जमा करवाना होगा ।

3.निविदादाता भागीदारी संस्था द्वारा प्रेषित की जा रही है तो ऐसी स्थिति में सभी भागीदारो के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर होगे एवं भागीदारी प्रलेख निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

4.निविदा प्रेषित करने वाले निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होने समस्त शर्ते ध्यान पूर्वक पढ़ एवं समझ ली है तथा पूर्ण रूप से स्वीकार होने के उपरान्त ही निविदा प्रस्तुत की है ।

5.निविदादाता के पास वैधानिक प्रावधानो के अनुसार समस्त योग्यताए/पात्रताए होनी आवश्यक है जिसमे फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/अन्य जो भी स्थिति है अधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र निविदा प्रस्तुति के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

6.मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर संघ के पलसाना स्थित मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी । न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता से ही निगोशियेशन किया जावेगा ।

7.निविदादाओ द्वारा प्रेषित की गयी दरें सीकर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार करने व नियमानुसार स्वीकार करने की कार्यवाही करने के लिए 3 माह तक निविदा प्रस्ताव खुला रखना होगा ।

8.निविदादाता द्वारा राज्य सरकार द्वारा श्रम अधिनियमो के तहत लागू विधिक प्रावधानो की पूर्ति एवं पालना करना आवश्यक है, विधिक प्रावधानो में भविष्य निधि योजना खाता संख्या, ई.एस.आई.खाता संख्या, सर्विस टैक्स खाता संख्या, आयकर खाता संख्या, श्रमिक अनुज्ञा पत्र एवं अन्य जो भी प्रावधान श्रमिक अधिनियम उपविधियो में लागू है उनकी फोटो प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक है।

9.निविदादाता को राजस्थान डेयरी प्लान्ट/संघो में सम्पादित होने वाले कार्यो से सम्बन्धित कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो । राजस्थान के डेयरी संघो में कार्यरत एवं प्लान्ट कार्य के अनुभव प्राप्त निविदादाता ही भाग लेने हेतु पात्र होगें। डेयरी कार्यो के अनुभव में प्लान्ट, मशीनरी, दुग्ध पैकिंग, घी पैकिंग, घी टिन सोलडरिंग कैन लोडिंग–अनलोडिंग, दुग्ध मशीन मैन्टीनेन्स घी दुग्ध की पैकिंग करने, केरेट में जमाने, प्लान्ट मशीनरी व पाईप लाईनो की जनरल मैन्टीनेन्स एवं साफ सफाई, डेयरी प्लान्ट कार्य, कार्यालय कार्यो, विपणन कार्यो, फिल्ड कार्यो, तकनीकी कार्यो, सुपरवाईजरी, वर्कर, श्रमिक अनुभव प्राप्त वांछित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध करवाने के अनुभव प्राप्त निविदादाता ही निविदा भरने हेतु पात्र होगें। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें

10.निविदादाता के पास श्रम विभाग से प्रदत अनुज्ञा पत्र जिसमे कम से कम 250 से अधिक श्रमिक एवं मैन पावर उपलब्ध करवाने का वैध लाईसेन्स प्राप्त किया हुआ हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सलंग्न करना आवश्यक है।

11.निविदादाता को तीन वर्ष की आयकर रिर्टन की फोटोप्रति सलंग्न करनी आवश्यक है जिसमें निविदादाता का पिछले तीन वर्षो में प्रतिवर्ष वार्षिक टर्न ओवर कम से कम पांच करोड़ से अधिक का हो निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होगें ।

12.निविदादाता द्वारा राजस्थान राज्य के डेयरी संघो में कार्यो के दौरान कभी भी बीच में ठेका निरस्त डिफालटर/सिक्योरिटी जप्त/अमानत राशि जप्त/ ब्लेकलिस्टेट किया हुआ नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तो वह निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं रखेगा । ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है, इसका 100 रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे ।

13.राजस्थान डेयरी संघो के कर्मचारी/सहकारी समितियो के अध्यक्ष/संचालक मण्डल सदस्य/ समितियो के सचिव व उनके रिश्तेदार/सिक्योरिटी/ठेका अनुबन्धक के अन्तर्गत कार्यरत रहे व कार्य कर रहे श्रमिक/व्यक्ति या उनके रिश्तेदार/दुग्ध परिवहन ठेकेदार, उनके कर्मचारी व उनके रिश्तेदार संघ की निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगें । इस हेतु निविदादाता को सम्बन्धित नहीं होने का 100 रूपये का शपथ पत्र नौटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।

14.निविदा प्रपत्र के साथ 10.00 लाख रूपये (दस लाख) की अर्नेस्टमनी राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है बिना अर्नेस्टमनी राशि के निविदादाता निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा । अर्नेस्टमनी के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

15.भाग अ में वांछित आवश्यकता/निर्देशो की पूर्ण पूर्ति होने के उपरान्त ही सक्षम उस निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा का भाग ब खोला जावेगा । अ भाग की आवश्यक पूर्ति के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी एवं उस निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा का ब भाग नहीं खोला जायेगा ।

16.किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाने/झुठे तथ्य प्रस्तुत करने/अन्यथा प्रभावित करने वाले निविदादाता निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगे, यदि निविदा स्वीकार होने के पश्चात भी कोई झुठा तथ्य संघ प्रबन्धन की जानकारी में आता है तो निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जायेगा एवं संघ में जमा सिक्योरिटी राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उसे भविष्य हेतु ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा । जिसके लिए निविदादाता को किसी प्रकार का कोई क्लेम/न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।

17.निविदा प्रपत्र के भाग ब में वितीय निविदा के कम संख्या 1 से 19 व 1 से 63 तक की सभी दरों को जोड़ते हुए कुल दर न्यूनतम पाये जाने वाले ठेकेदार को न्यूनतम दर का माना जायेगा ।

18.निविदा को पूर्ण रूप से स्वीकार, आशिंक स्वीकार, पूर्ण रूप से अस्वीकार, आशिंक अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास स्वतन्त्र रूप से सुरक्षित रहेगा एवं इस हेतु निविदादाता को रद/निरस्त/अस्वीकार करने का कारण बताने की प्रबन्धन पर कोई बाध्यता नहीं होगी ।

19.किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक या उनके द्वारा मनोनित अधिकारी मध्यस्थ नियुक्त किया जावेगा जिसके निर्णय को मानने हेतु दोनो पक्षकार बाध्य होगें । अन्य विवाद उत्पन्न होने पर निपटारे हेतु न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीकर न्यायालय होगा ।

20.निविदा प्रपत्र के भाग अ के साथ सलंग्न एनेक्चर 1 से 04 तक में अंकित निविदा की शर्ते/पात्रता/निर्देश निविदादाता द्वारा स्वीकार स्वरूप हस्ताक्षर करने पर ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी । सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र भरते समय उपरोक्त एनेक्चर एक से चार में अंकित शर्ते/निर्देश/पात्रता प्रस्तुत अनुबन्ध का हिस्सा होगी ।

21.स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु प्रतिदिन/प्रतिश्रमिक की दरों को प्रतिमाह 30 दिन के गुणाक में जोड़कर (उदाहरण के तौर पर यदि किसी श्रमिक की दर 600 रूपये प्रतिदिन है तो उसको 30 दिन से गुणा करने पर 18000/—रूपये बनते है) इस दर के आधार पर श्रमिक को 30 दिवस का भुगतान देय होगा एवं 04 साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश देय होगें । यानि श्रमिक के कार्य दिवस 26 होगे एवं श्रमिक को वेतन/पारश्रमिक का भुगतान पूरे 30 दिवस का देय होगा ।

22.क्र.सं. 1 से 22 तक की शर्ते निविदादाता द्वारा पढ़ी/समझी जाकर सहमत होने पर निविदा प्रस्तुत करनी होगी । शर्ते स्वीकार करने की सहमति स्वरूप निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जायेगे तभी निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ई–निविदा की शर्ते एनेक्चर–2

सीकर एवं झुंझुंन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, एन.एच.52, कृषि मण्डी के सामने पलसाना जिला सीकर (राज0)

कुशल ठेका श्रमिक कार्य सम्पादित करने हेतु निविदा भरने एवं अनुबन्ध हेतु सामान्य शर्ते

निविदादाता द्वारा निविदा भरने एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित सामान्य शर्ते व निर्देश :–

1.संघ कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करने के पश्चात निविदादाता निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त निर्देशो, शर्तो, प्रतिबन्धो एवं अनुबन्ध प्रफोर्मा का पूर्ण अध्ययन कर ले ।

2.निविदादाता निर्धारित निविदा शुल्क एवं अर्नेस्टमनी राशि संघ कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जावेगी । जिसे निविदा फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व संघ में जमा करानी होगी । अन्यथा निविदा फार्म पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

3.निविदादाता को 10.00 लाख रूपये अर्नेस्टमनी राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाने होगे जिसे प्रपत्र अ के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

4.निविदादाता अपनी दरें प्रत्येक कार्य के आधार पर अलग–अलग प्रस्तुत करेगे जिनमें विधिक प्रावधान जैसे पी.एफ.,ई.एस.आई., वर्दी, मकान किराया व आदि जोड़कर प्रस्तुत कर सकता है अथवा विधिक प्रावधानो को अतिरिक्त रखते हुए भी दरें प्रस्तुत कर सकता है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं किया जावे ।

5.निविदादाता को जीएसटी संघ द्वारा अलग से देय होगी जो श्रमिक कार्यो व जॉब बेसिस कार्यो दोनो पर लगती है संघ की ओर से अलग से दी जावेगी जिससे निविदादाता की दरों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

6.निविदादाता द्वारा विधिक प्रावधानो की राशि अपनी दरों में दरें जोड़कर प्रस्तुत की जाती है या विधिक प्रावधान शामिल नहीं करते हुए दरें प्रस्तुत की जाती है, उक्त दोनों स्थितियों में भी विधिक प्रावधानो की पूर्ति का दायित्व निविदादाता श्रमिक अनुबन्धक का ही होगा ।

7.निविदा प्रपत्र में निविदादाता को अपना पूरा नाम, पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर लिखना होगा ।

8.निविदादाता को अपनी दरें अंकों में स्पष्ट अंकित करनी होगी, किसी प्रकार की कटिंग होने पर निविदा प्रपत्र में कटिंग पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

9.शब्दों एवं अंको में अंकित दरों में अन्तर पाये जाने पर शब्दो में लिखी दर को ही मान्यता दी जावेगी ।

10.निविदा श्रमिक अनुबन्ध की अवधि तीन वर्ष के लिए मान्य होगी । संघ हित में दोनो पक्षो की आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए ओर नवीनीकरण किया जा सकेगा एवं आगामी दो वर्ष अवधि बढाने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा ।

11.किसी भी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र के बिना दी गयी निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा साथ ही निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तो के अनुरूप ही देनी होगी यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्त जोड़ता/घटाता है तो वह मान्य नहीं होगी ।

<u>एनेक्चर–2</u>

12.निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अनुबन्ध अवधि के लिए श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कॉन्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड अबोलिशियन अधिनियम 1970 के तहत कामगार ठेके पर संघ में लगाने का लाईसेन्स संलग्न करना होगा, जिसमे श्रमिको की संख्या 250 से कम का नही हो । इसके साथ ही कार्यरत श्रमिको की संख्या में बढ़ोतरी होने पर उसके अनुरूप लाईसेन्स में बढ़ोतरी की संख्या अंकित करवाया जाना आवश्यक है। अधिनियम के अनुसार निर्धारित अभिलेख रखने व विवरणिका समय पर प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा । श्रम विभाग में अपंजीकृत ठेकेदार की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

13.निविदादाता के पास स्वंय के नाम का पी.एफ. नम्बर व ई.एस.आई. कोड, जीएसटी नम्बर, लेबर लाईसेन्स, श्रमिक संख्या अनुज्ञा पत्र जो 250 से कम का नही हो, आयकर रिर्टन जिसका टर्न आवेर पांच करोड़ रूपये से कम का नही हो एवं राजस्थान के संघों में डेयरी प्लान्ट से सम्बन्धित कार्य करने का गत पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त होना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

14.निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को संघ में ब्याज मुक्त रूपये 25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपये) सिक्युरिटी राशि जमा करवानी होगी जिसमे रूपये 10,00,000/– रूपये (दस लाख) संघ में नकद जमा कराने होगें एवं 15,00,000/– रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) की बैंक गारन्टी संघ के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।

15.निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार रूपये 5000/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफोर्मा में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तभी संघ द्वारा कार्य आदेश दिया जावेगा ।

16.ठेकेदार को किसी भी परिस्थिति में संघ द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध को किसी भी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं होगा । यदि अनुबन्ध के बीच में अनुबन्धकर्ता निविदादाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में शेष रही अवधि के लिए उसके लिगल उत्तराधिकारी/अधिकृत उत्तराधिकारी/वारिश के नाम अनुबन्ध का स्थानान्तरण किया जा सकेगा । इस कार्यवाही हेतु उत्तराधिकारी को अनुबन्ध की सभी शर्ते एवं दायित्वो की पालना की जिम्मेदारी लेने का 5000/– रूपये का शपथ पत्र नौटेरी से प्रमाणित करवाकर संघ में देना होगा तभी अनुबन्ध शेष रही आगे की अवधि के लिए जारी रखा जावेगा ।

17.निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रबन्ध संचालक के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

18.उक्त समस्त शर्ते, सामान्य प्रतिबन्ध ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा होगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्ते ठेकेदार पर लागू होगी।

19.निविदादाता को उपरोक्त निविदा प्रपत्र के क्रम संख्या 1 से 19 तक की प्रत्येक शर्ते पढ़कर स्वीकार करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित शर्तो की स्वीकारोक्ति के रूप में हस्ताक्षर करने होगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की शर्ते एनेक्चर– 3

सीकर एवं झुंझुंन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

एन.एच.52, कृषि मण्डी के सामने पलसाना जिला सीकर (राज0)

कुशल ठेका श्रमिक अनुबन्ध अवधि में अनुबन्धकर्ता के पालनार्थ विशेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1.कार्य आदेश प्राप्ति के पश्चात संघ द्वारा निर्देशित अवधि में मांगी गयी संख्या में ठेकेदार श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य होगा। श्रमिको की संख्या का निर्धारण संघ की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर प्रबन्ध संचालक अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जावेगा । श्रमिक अनुबन्धक को उसी अनुसार संघ का कार्य सम्पादित करवाने हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने होगे ।
2.श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक स्वस्थ, वयस्क एवं योग्य होने चाहिए ।
3.श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक प्रबन्ध संचालक के निर्देशन में अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के निर्देशन में बताये गये कार्य स्थल पर प्रतिदिन 8 घन्टे कार्य करेगें । आठ घन्टे की कार्यअवधि लगातार या टुकड़ो में भी हो सकती है, संघ द्वारा श्रमिक/प्रोफेसनल की कार्य क्षमता/दक्षता/योग्यता अनुसार एक ही शाखा या विभिन्न शाखाओ में अलग–अलग प्रकार का कार्य लिया जा सकता है । कार्य के बारे में श्रमिक या अनुबन्धक का कोई एतराज मान्य नहीं होगा एवं आठ घन्टे की अवधि को संघ प्रबन्धन या शाखा प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्य पूर्ण निष्ठा एवं गुणवता से अनुबन्धक के श्रमिक को करना होगा ।
4.श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक यदि कार्य के दौरान विभागाध्यक्ष निर्देशों का उल्लघंन अथवा निर्धारित कार्य का सम्पादन नहीं करते है तो अनुबन्धक को ऐसे ठेका श्रमिको को हटाकर उनकी जगह दूसरे कार्य करने में योग्य एवं कर्मठ ठेका श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें । संघ के कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण यदि संघ की सम्पति इत्यादि को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित उस श्रमिक की होगी । निर्धारित संख्या में मांगे गये ठेका श्रमिकों से कम या अधिक श्रमिक उपलब्ध करवाने पर संघ को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति श्रमिक ठेकेदार से होगी। ठेका की शर्तो का उल्लघंन होने पर प्रबन्ध संचालक को श्रमिक ठेकेदार पर अनुशास्ति (पेनल्टी) लगाने का अधिकार होगा ।
5.कोई भी अवांछित वस्तु अथवा घातक हथियार इत्यादि अनाधिकृत रूप से संघ परिसर में श्रमिक ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा ।
6.उक्त समस्त शर्ते, सामान्य प्रतिबन्ध ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा होगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्ते ठेकेदार पर लागू होगी।
7.निविदादाता को उपरोक्त निविदा प्रपत्र के क्रम संख्या 1 से 7 तक की प्रत्येक शर्ते पढ़कर स्वीकार करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित शर्तो की स्वीकारोक्ति के रूप में हस्ताक्षर करने होगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर एवं झुंझुंन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

एन.एच.52, कृषि मण्डी के सामने पलसाना जिला सीकर (राज0)

कुशल ठेका श्रमिको की उपस्थिति भुगतान व रेकार्ड संधारण हेतु इत्यादि के क्रम में **निर्देश**

1.ठेका श्रमिको की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार सम्बन्धित विभागाध्यक्षो से प्रतिमाह प्रमाणित करवाकर मासिक बिल के साथ संलग्न कर संघ कार्यालय में अगले माह की 02 तारीख तक प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत की जावेगी ।

2.श्रमिक ठेकेदार श्रमिको से सम्बन्धित सभी उपस्थिति पंजिकाए, वेतन पंजिकाए श्रम अधिनियमो के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में संधारण करने हेतु जिम्मेदार होगा एवं संघ कार्यालय द्वारा या किसी जांच एजेन्सी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवायेगा। सभी प्रकार की वैधानिक प्रावधानो की पालना पूर्ति जिसमें पीएफ, ईएसआई एवं अन्य वैधानिक कटौतियों/जिम्मेदारियों की पालना निर्धारित है। प्रत्येक माह के बिल के साथ श्रमिको की पीएफ, ईएसआई व जीएसटी भुगतान सीट व चालानो की फोटो प्रति स्वंय के सत्यापन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

3.सिक्योरिटी मेनगेट पर श्रमिक आने व जाने की एन्ट्री ठेकेदार द्वारा की जावेगी उसके लिए एक ठेकेदार का अधिकृत प्रतिनिधी मैनगेट पर लगाया जावेगा । संघ की मांग या जांच एजेन्सी की मांग पर उपस्थिति का रिकार्ड उपलब्ध करवाने दायित्व ठेकेदार का रहेगा ।

4.निर्धारित समयवधि में श्रमिक ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक कर्मकार जिन्हें संघ में ठेका श्रमिक के रूप में काम पर लगाया गया है उसे उसकी मजदूरी का भुगतान करने के लिए श्रमिक अनुबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । संघ को श्रमिक अनुबन्धक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी राशि से श्रमिको को कम राशि के भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर श्रमिक ठेकेदार पर शास्ति लगायी जावेगी ।

5.संघ द्वारा नियुक्त श्रमिक अनुबन्धक संघ की विभिन्न शाखाओ से श्रमिको की उपस्थिति प्रमाणिकरण प्रतिमाह शाखा प्रभारी से करवाकर प्रत्येक माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगा तथा संघ को प्राप्त बिल संस्थापन शाखा द्वारा प्रोसेस किया जायेगा एवं लेखाशाखा द्वारा स्वीकृति अनुसार बिल की जांच कर बिल पारित किया जायेगा । जांच में सही पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को चैक द्वारा भुगतान देय होगा ।

6.बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम 1986 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना का उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा ।

7.श्रमिक ठेकेदार का यह दायित्व है कि वह श्रम अधिनियम में प्राप्त अपना पंजिकरण प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ पेश करें एवं टेण्डर फार्म में उसकी कोड संख्या दर्शायी जावेगी ।

8.श्रमिक ठेकेदार उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत भुगतान योग्य संघ द्वारा निर्धारित मजदूरी पर नियमानुसार भविष्य निधि, ई.एस.आई. की कटौति एवं अन्य वैधानिक कटौतियॉ प्रत्येक श्रमिक कामगारो को देय श्रमिक भुगतान में काटकर करेगा ।

9.भविष्य निधि, ई.एस.आई. की राशि श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने पी.एफ.कोड ई.एस.आई. कोड में जमा करवाई जायेगी तथा श्रमिक को पी.एफ.का कोड नम्बर व ई.एस.आई.का कार्ड उपलब्ध करवाना होगा।

10.कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कार्यरत श्रमिको के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बकाया, ब्याज शास्ति, वसूली के लिए ठेकदार वर्तमान में व भविष्य में पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगा एवं इस प्रकार की वसूली की सूचना यदि भविष्य निधि विभाग से अनुबन्ध अवधि में अथवा बाद में संघ को मिलती है तो उक्त वसूली ठेकेदार से की जावेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त वसूली के लिए संघ कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने में स्वतंत्र रहेगा । जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेका श्रमिक ठेकेदार स्वंय की होगी ।

लगातार ....

एनेक्चर–4

11.ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को आवंटित भविष्य निधि, ई.एस.आई.सदस्यता क्रमांक की सूचना काम पर लगाते ही देगा। काम पर लगाने से पूर्व ठेकेदार श्रमिक से समस्त संबंधित भविष्य निधि फार्मो की पूर्ति करायेगा । श्रमिकों द्वारा भराये गये फार्म निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करने होगें । उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का दायित्व ठेकेदार का रहेगा ।

12.ठेकेदार का दायित्व होगा कि ठेके पर कार्यरत समस्त श्रमिको के सम्बन्ध में संघ/संस्था पर प्रभावशील समस्त उक्त अधिनियमों, नियमों के प्रावधानो उपबन्धो की पालना करें व इन अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार अपेक्षित रेकार्ड तैयार कर समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित

प्राधिकृत कार्यालयो से निरीक्षण करावें एवं सम्बन्धित एजेन्सियों से की गई निरीक्षण रिपोर्ट संघ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

13.अनुबन्ध अवधि में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों मे वृद्वि किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा की गयी वृद्वि के अनुपात में श्रमिक अनुबन्धक को स्वीकृत दरो में उसी वृद्वि अनुपात में अनुपातिक वृद्वि की जायेगी, जो सभी जोब बेसिस कार्यो एवं प्रोफेसनल आदि कार्यो हेतु स्वीकृत दरो पर लागू होगी ।

14.ठेका प्रथा के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियम/निर्देश संघ द्वारा नियुक्त श्रमिक अनुबन्धक पर भी लागू होगे ।

15.समस्त ठेका श्रमिको को हर माह की समाप्ति पर अगले माह की 07 तारीख तक मजदूरी का भुगतान समय पर करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

16.अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर ठेकेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार का बकाया या वैधानिक प्रावधानो की पालना में चुक के कारण रही बकाया राशि की कटौति श्रमिक ठेकेदार की धरोहर राशि में से करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा ।

धरोहर राशि व बैंक गारन्टी लौटाने से पूर्व श्रमिक ठेकेदार को समस्त विभागो से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करना होगा तथा प्रार्थना पत्र के साथ मूल रसीद संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी ।

17.संघ को विभागो की मांग के अनुसार अपेक्षित श्रमिक समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर या श्रमिको की संख्या से कम श्रमिक उपलब्ध कराने पर रूपये 100/– प्रतिदिन शास्ति आरोपित की जायेगी ।

18.ठेका श्रमिक ठेकेदार को पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का कार्य सम्पादन करवाने हेतु अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा । पी.एफ., ई.एस.आई. के जमा चालानों की प्रतियां एवं भुगतान प्रपत्र की प्रंतिया प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी । ठेका श्रमिकों के पी.एफ., ई. एस.आई. सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए सम्बन्धित ठेकेदार स्वंय व्यक्गित रूप से जिम्मेवार होगा तथा समस्त उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा ।

19.कुल भुगतान पर जीएसटी टैक्स संघ द्वारा देय होगा, जो ठेकेदार को समय पर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवाना होगा, यदि नियमानुसार जीएसटी टैक्स समय पर जमा नहीं होता है या सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई प्रावधानो की पालना में चुक के कारण शास्ति आरोपित की जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित श्रमिक ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, ऐसे में संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

लगातार ....

20.ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिको द्वारा दुग्ध संयंत्र में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्य, दुग्ध, भवन उपकरण, प्लान्ट एवं मशीनरी का या अन्य किसी प्रकार का कोई नुकसान किया जाता है, चोरी, संपरिवर्तन या अन्य कोई अपराध किया जाता है या ठेकेदार एवं उसके द्वारा नियुक्त श्रमिको के किसी भी कृत्य, आचरण, अकृत्य से कोई भी नुकसान या हानि संघ को होती है, एवं विभागाध्यक्ष इस हानि के लिए ठेकेदार के श्रमिक को उत्तरदायी मानते हुए वसूली की कार्यवाही करवाता है तो वह सम्बन्धित श्रमिक से व्यक्तिशः करने व संघ में जमा करवाने के लिए ठेकेदार का कार्मिक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा । प्रबन्धन द्वारा इस प्रकार के नुकसान के लिए 10 गुना शास्ति श्रमिक पर आरोपित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा ।

21.श्रमिक ठेके के अन्तर्गत किसी भी श्रमिक/कार्मिक से अनुबन्ध पत्र भरवाकर लेना होगा तभी उसे डेयरी में प्रवेश दिया जावेगा । अनुबन्ध पत्र में शर्तो एवं जिम्मेदारियो कार्यो के दौरान हुई हानियो एवं जिम्मेदारियो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा तथा अनुबन्ध शर्त की पालना प्रत्येक श्रमिक को करनी होगी ।

22.संघ द्वारा स्वीकृत दरें जिसमे सभी वैधानिक प्रावधानो की पालना पूर्ति का दायित्व श्रमिक अनुबन्धक पर निर्धारित करते हुए स्वीकृत की गयी है जो श्रमिक अनुबन्धक को देय है । श्रमिक अनुबन्धक द्वारा संघ को आवश्यकता के योग्यताधारी मैनपावर उपलब्ध करवाने होगें । अनुबन्धक अपने द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक एवं मैनपावर को देय पारिश्रमिक अपने स्तर पर निर्धारित कर भुगतान करेगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में स्वीकृत दर से कम नहीं होगा । यदि संघ को निर्धारित योग्यता की मैनपावर उपलब्ध करवाने पर श्रमिक अनुबन्धक को अधिक पारिश्रमिक से भुगतान करना पड़ता है तो उसे श्रमिक अनुबन्धक स्वंय वहन करेगा उस अधिक भुगतान के लिए संघ उत्तरदायी नहीं होगा ।

23.कारखाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम,औधोगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य समस्त श्रमिक अधिनियमो एवं नियमो के अन्तर्गत यदि किसी श्रमिक द्वारा कोई विवाद उठाया जाता है, तो उसका दायित्व ठेकेदार का होगा एवं विवाद के निस्तारण की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इस बाबत ठेकेदार द्वारा एक क्षतिपूर्ति बन्धक–पत्र दुग्ध संघ के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादन के समय पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

24.श्रमिक ठेके के अन्तर्गत नियुक्त/कार्यरत कोई भी श्रमिक संघ के विरूद्व किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेगा क्योकि वह संघ का कार्मिक नहीं होकर ठेकेदार का व्यक्ति है तथा ठेकेदार एक सेवा प्रदाता एजेन्सी है । अतः सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कोई व्यक्ति संघ के प्रति वाद लाने की अधिकारिता नही रखेगा ।

25.ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार के नियोजन में रहेगें और ठेकेदार ही उनका नियोक्ता होगा, इस प्रकार नियुक्त श्रमिकों के प्रति दुग्ध संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और इस प्रकार श्रमिक अनुबन्धक द्वारा नियुक्त श्रमिक दुग्ध संघ के किसी भी प्रकार से नियोजन में नहीं होगें । किसी श्रमिक द्वारा दुग्ध संघ के विरूद्व कोई विवाद, क्लेम, अधिकार प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न ही दुग्ध संघ का श्रमिक होने या स्थायीकरण का कोई नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा । इस आशय की सूचना ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को लिखित में दी जायेगी ओर नियुक्त श्रमिक का इस आशय का एक अनुबन्ध पत्र 100/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर दुग्ध संघ को उपलब्ध करवाना होगा ।

26.शाखा प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने के लिए ठेकेदार को स्वंय या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक को प्रतिदिन सम्पर्क स्थापित करना होगा और अपनी उपस्थिति पूरे समय संघ कार्यालय मे रखनी होगी, ताकि आवश्यक सूचना व निर्देश दिये जा सकें । आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की सहज उपलब्धता के लिए स्थान के पत्ते व विवरण के सम्बन्ध में भी सूचना संघ को देनी होगी ।

लगातार ....

एनेक्चर–4

27.ठकेदार को आई.एस.ओ. 9002 के सिद्वान्तों के अनुसार उसके द्वारा नियुक्त श्रमिकों का उनके खर्चे पर प्रत्येक छः माह में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा । किसी भी श्रमिक के अस्वस्थ होने या उनकी सेवाएं संघ प्रशासन की संतुष्टि के स्तर की नहीं होने पर प्रशासन के निर्देशानुसार श्रमिक को हटाकर दूसरा श्रमिक उपलब्ध करवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

28.श्रमिक ठेकेदार संघ को आवश्यकतानुसार उच्च कुशल/कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल/तकनीकी योग्यताधारी मैन–पावर उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा ।

29.श्रमिक ठेकेदार कोन्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन एक्ट, 1970 के प्रावधानो के अनुसर सभी शर्तो व नियमों का पालन करेगा व ऐसा नहीं पाये जाने की शिकायत के लिये वह सीधा जिम्मेदार होगा । पंजीकृत प्रमाण पत्र को समय पर नवीनीकरण कराने व पंजीकृत निर्धारित संख्या सीमा तक ही श्रमिक उपलब्ध करा सकेगा । इससे संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही श्रमिक ठेकेदार अपने बिलों का भुगतान, संघ से प्राप्त कर सकेगा ।

30.श्रमिक को हटाना व लगाना श्रमिक ठेकेदार के अधिकार में रहेगा एवं किसी भी श्रमिक को एक से दूसरे स्थान पर लगाना व कार्य को सही व समय पर करवाने के लिए ठेकेदार जहां चाहे उस स्थान पर कार्य पर रखने हेतु स्वतन्त्र होगा ।

31.श्रमिको को एक ही जगह पर कार्य करवाना या नहीं करवाना ठेकेदार के निर्णयाधीन होगा । उसके लिए शाखा प्रभारी से यदि लिखीत सूचना पर उसे उस शाखा/स्थान/जगह से हटाने का निर्णय ठेकेदार का होगा ।

32.किसी भी श्रमिक को हटाने व लगाने का अधिकार श्रमिक ठेकेदार का होगा । यदि शाखा प्रभारी उसको हटाने में श्रमिक ठेकेदार को सहयोग नहीं करेगा एवं व्यक्ति विशेष का पक्ष लेकर उसे शाखा में रखवाने का प्रयास करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शाखा प्रभारी की होगी । अतः शाखा प्रभारी से अपेक्षा है कि वह श्रमिक ठेकेदार के कार्यो/निर्णयो में हस्तक्षेप नहीं करें । ताकि श्रमिक ठेकेदार के नियन्त्रण में रहकर शाखा प्रभारी के निर्देशानुसार पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से संघ का दैनिक कार्य सम्पादित करने में प्रतिबन्धित रहें ।

33.सभी जॉब बेसिस कार्यो में प्रत्येक शाखा मे जैसे दुग्ध पैकिंग, क्रेट वासिंग, केन वासिंग, घी पैकिंग, दही, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड, घी टीन सोल्डरींग, लोडिंग/अनलोडिंग आदि अन्य कार्यो मे दर प्रति लीटर व प्रति नग से है । इन कार्यो को समय पर पूरा करवाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । कार्य कम या ज्यादा होने पर अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

34.श्रमिक ठेकेदार द्वारा ठेके के अधीन नियोजित श्रमिकों का नियोक्ता श्रमिक ठेकेदार ही होगा। ऐसे श्रमिकों का संघ पर कोई दायित्व/भार नहीं रहेगा तथा वे श्रम अधिनियमों के तहत रोजगार/नियुक्ति पाने हेतु संघ से कोई क्लेम प्राप्त नहीं कर सकेगे । स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे श्रमिकों के प्रति संघ का कोई दायित्व नहीं होगा, वे पूर्ण रूप से श्रमिक ठेका अनुबन्धक के ही श्रमिक होंगे एवं श्रमिक ठेकेदार के नियोजन में होगे तथा श्रमिक ठेकेदार ही उनका नियोक्ता होगा

35.श्रमिक ठेके के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक ठेकेदार का कोई भी कार्मिक/व्यक्ति संघ के किसी भी स्थाई/अस्थाई रिकार्ड/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं होगा तथा वह किसी भी स्थिति मे संघ के रिकार्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेगा ।

36.श्रमिक ठेका के अधीन लगाया गया श्रमिक संघ कार्यालय से सीधा कोई पत्राचार नहीं कर सकेगा एवं अनुबन्धक ही संघ से पत्राचार करने हेतु अधिकृत होगा । ठेकेदार के अधिन कार्यरत श्रमिक की किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण श्रमिक अनुबन्धक द्वारा ही किया जावेगा तथा ठेकेदार के श्रमिक को संघ से किसी प्रकार का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र जारी नही किया जावेगा ।

लगातार ....

एनेक्चर–4

37.श्रमिकों की उपस्थिति श्रमिक ठेकेदार के रिकार्ड मे की जायेगी एवं संस्था द्वारा श्रमिकों के कार्य दिवस व संख्या का ही प्रमाणिकरण किया जायेगा, संघ द्वारा किये जाने वाले प्रमाणिकरण में श्रमिक का नाम अंकित नहीं होगा ।

38.ठेकेदार द्वारा श्रम कानून एवं राज्य सरकार के नियमानुसार श्रमिक व संस्था/संस्थाओ को देय राशि से कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

39.श्रमिक ठेकेदार को स्वीकृत दरों के अलावा जीएसटी राशि का भुगतान संघ द्वारा अलग से देय होगा । उक्त जीएसटी जॉब बेसिस व मैन पावर दोनो पर लागू होगी व संघ द्वारा अलग से देय होगी। लेकिन जमा करवाने का दायित्व श्रमिक अनुबन्धक का रहेगा ।

40.उक्त समस्त शर्ते, सामान्य प्रतिबन्ध ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा होगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्ते ठेकेदार पर लागू होगी।

41.समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र सीकर होगा ।

42.दूध पैकिंग व कोल्ड स्टोरेज/क्रेट वांशिग/मशीनों व सम्बन्धित एरिया की सम्पूर्ण साफ सफाई नियमित रूप से करनी होगी ।

43.घी पैकिंग/बटर चर्नर से सम्बन्धित एरिया की साफ सफाई सम्पूर्ण रूप करनी होगी ।

44.घी टीन सोल्डरिंग खाली टीन को व्यवस्थित रखना एवं टीन की साफ सफाई करने के बाद भरा जायेगा ।

45.दही पैकिंग एरिया को नियमित रूप से साफ सफाई करनी होगी एवं उसके पश्चात दही कप पैकिंग करना होगा ।

46.कैन वाशिंग एरिया व डॉक पर नियमित रूप से साफ सफाई एवं दूध टेंक को रोजाना नियमित रूप से दोनो समय साफ सफाई करनी होगी।

47.जॉब बेसिस से सम्बन्धित एरिया की नियमित रूप से प्रतिदिन साफ सफाई एवं कार्य संचालन से सम्बन्धित कार्य पूर्ण रूप से पूरा करना होगा।

48.निविदादाता को उपरोक्त निविदा प्रपत्र के क्रम संख्या 1 से 48 तक की प्रत्येक शर्ते पढ़कर स्वीकार करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित शर्तो की स्वीकारोक्ति के रूप में हस्ताक्षर करने होगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ई–निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदाए भाग ब

वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है

क्र. सं.	कार्य का विवरण	यूनिट	दर
1	दूध थैली पैकिंग (क्रेट में जमाना, कोल्ड स्टोर में रखना	प्रति लीटर	
2	घी निर्माण एवं पैकिंग (मोनो एवं सीएफसी कार्टून में पैंकिग)	प्रति लीटर	
3	घी पीपा (शोल्डींग)	प्रति टीन	
4	पशुआहर लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति बैग	
5	बीज लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति बैग / थैली	
6	घी कार्टून 10 लीटर / किलो / लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति कार्टून	
7	घी 15 किलो टीन पैक लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति टीन	
8	पोलीथीन फिल्म रोल लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति रोल	
9	कास्टिक सोडा / सोडा एस प्रति बैग चढ़ाई / उतराई	प्रति बैग	
10	नई घी टीन खाली लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति टीन	
11	डेयरी डॉक पर कैन लोडिंग / अनलोडिंग व कैन धुलाई तथा डॉक की सफाई आदि कार्य	प्रति कैन	
12	क्रेट धुलाई	प्रति क्रेट	
13	नई क्रेट लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति क्रेट	
14	एसिड / एलकोहल लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति नग	
15	एसएमपी / यूएमबी / मिनरल मिक्चर बेग लोडिंग / अनलोडिंग	प्रति बैग	
16	छाछ / लस्सी पैकिंग	प्रति लीटर	
17	दही पैकिंग	प्रति कप	
18	श्रीखण्ड	प्रति कप	
19	पनीर पैकिंग	प्रति पैकिट	

ई–निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदाए भाग ब

वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है

सीकर एवं झुंझुंनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना जिला सीकर को निम्नानुसार योग्यता रखने वाले कार्मिको की आवश्यकता है :–

निविदादाता द्वारा पेशेवर कार्मिक/श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु दी जाने वाली दरें

क्र. सं.	कार्मिको का विवरण	योग्यता	पीएफ/ईएसआई/टीडीएस/सर्विस चार्ज/एचआरए/शिक्षा भत्ता/धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्तो सहित दरप्रतिदिन/प्रतिश्रमिक
1	एम.बी.ए.	एम.बी.ए.डिग्रीधारक	
2	एम.बी.ए. अनुभवी(एमबीए)	5 वर्ष से अधिक का अनुभव	
3	चाटेर्ड अकाउन्टेन्ट	सी.ए.डिग्रीधारक	
4	चाटेर्ड अकाउन्टेन्ट अनुभवी(सीए)	3 वर्ष से अधिक का अनुभव	
5	डेयरी टेक्नोलोजिस्ट	बी.एस.सी. (डी.टी)	
6	डेयरी टेक्नोलोजिस्ट (अनुभवी) बी.एस.सी. (डी.टी)	5 वर्ष से अधिक का अनुभव	
7	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम अकाउन्टेंट	बी.कॉम, टेली, हिन्दी व अग्रेजी की टाईप, कम्प्यूटर का ज्ञान व कार्य मे दक्ष	
8	लेखा सम्बन्धी सभी कार्यो के योग्यताधारी अनुभवी	लेखा सम्बन्धी सभी कार्य की योग्यता एवं 5 वर्ष का अनुभव	
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुभवी	ग्रेजुएट, कम्प्यूटर कार्य में दक्ष, 5 वर्ष का अनुभव	
10	स्नातकोतर डेयरी प्रयोगशाला कार्य में दक्ष	एम.एस.सी.माईक्रोबाईलोजी, बायो केमेस्ट्री	
11	स्नातकोतर डेयरी प्रयोगशाला कार्य में दक्ष अनुभवी	एम.एस.सी.माईक्रोबाईलोजी, बायो केमेस्ट्री 5 वर्ष का अनुभव	
12	स्नातक डेयरी प्रयोगशाला में दक्ष	बी.एस.सी.केमेस्ट्री, डेयरी केमिस्ट	
13	स्नातक डेयरी प्रयोगशाला में दक्ष अनुभवी	बी.एस.सी.केमेस्ट्री व डेयरी केमिस्ट 5 वर्ष का अनुभव	
14	पशु चिकित्सक	बी.बी.एस. एण्ड ए.एच.	
15	पशु चिकित्सक अनुभवी	बी.बी.एस. एण्ड ए.एच. 5 वर्ष का अनुभव	
16	पशुधन पर्यवेक्षक कार्य मे दक्ष	पशुपालन विभाग से एल.एस.एस डिपलोमाधारी	
17	पशुधन पर्यवेक्षक कार्य मे दक्ष अनुभवी	पशुपालन विभाग से एल.एस.एस डिपलोमाधारी 5 वर्ष का अनुभव	
18	आर.पी. फिल्ड कार्य (एफ.ओ)	ग्रेजुएट	
19	आर.पी. फिल्ड कार्य (एफ.ओ) अनुभवी	ग्रेजुएट 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	
20	आर.पी. फिल्ड कार्य हेतु (एफ.ओ)	10+2 सीनियर सैकण्डरी	
21	आर.पी. फिल्ड कार्य हेतु (एफ.ओ) अनुभवी	10+2 सीनियर सैकण्डरी 5 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव	

ई–निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदाए भाग ब

वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है

22	ग्रामीण क्षेत्र में प्रबन्धकीय कार्य हेतु	स्नातकोतर, स्नातक, ग्रामीण विकास में डिपलोमा, 3 वर्ष का ग्रामीण क्षेत्र / एन. जी.ओ.कार्य का अनुभव	
23	विपणन सहायक	स्नातक	
24	विपणन सहायक अनुभवी	स्नातक माकेटिंग कार्य में 5 वर्ष का अनुभव	
26	विपणन सम्बन्धी योग्यताधारी व 5 वर्ष का कार्य अनुभव	विपणन सम्बन्धी योग्यताधारी व 5 वर्ष का कार्य अनुभव	
27	आई.टी.आई.फिटर	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी फीटर	
28	आई.टी.आई.फिटर अनुभवी	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी फीटर 5 वर्ष का कार्य अनुभव	
29	आई.टी.आई.मेकेनीकल	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी मेकेनीकल	
30	आई.टी.आई.मेकेनीकल अनुभवी	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी मेकेनीकल 5 वर्ष का अनुभव	
31	आई.टी.आई.इलेक्ट्रीकल	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी इलैक्ट्रीकल	
32	आई.टी.आई.इलेक्ट्रीकल अनुभवी	आई.टी.आई. डिपलोमाधारी इलैक्ट्रीकल 5 वर्ष का अनुभव	
34	ऑपरेटर घी, बटर, प्रोसेस व पैकिंग	आपरेटर कार्य का अनुभव	
35	ऑपरेटर घी, बटर, प्रोसेस व पैकिंग अनुभवी	आपरेटर कार्य का अनुभव 5 वर्ष	
36	टेलीफोन ऑपरेटर अनुभवी	टेलीफोन कार्य में दक्ष 5 वर्ष का अनुभव हो	
37	ड्राईवर अनुभवी	परिवहन विभाग द्वारा प्रदत वैध लाईसेन्सधारी 5 वर्ष का अनुभव	
38	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम पी.ए.	स्नातक एवं 5 वर्ष का पी.ए.का कार्य अनुभव	
39	रिटायर्ड परसन अनुभवी	जिसे संस्थापन सम्बन्धित कार्यो का अनुभव हो	
40	रिटायर्ड परसन अनुभवी	जिसे विपणन सम्बन्धित कार्यो का अनुभव हो	
41	रिटायर्ड परसन अनुभवी	जिसे लेखा सम्बन्धित कार्यो का अनुभव हो	
42	आर.पी. अनुभवी	स्नातक जिसे कार्यालय में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव जैसे संस्थापन / लेखा, / विपणन / एम.आई.एस. / स्टोर / बिल / प्लान्ट आदि	

ई–निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदाए भाग ब
वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है

43	प्रोग्रामर (योजना व ट्रेनिगं)	पी.एच.डी. (कृषि)	
44	आई.टी.आई.रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर	आई.टी.आई.होल्डर	
45	आई.टी.आई.रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर अनुभवी	आई.टी.आई.होल्डर 5 वर्ष का अनुभव	
46	आई.टी.आई.बोयलर ऑपरेटर	आई.टी.आई.होल्डर	
47	आई.टी.आई.बोयलर ऑपरेटर अनुभवी	आई.टी.आई.होल्डर 5 वर्ष का अनुभव	
48	बी.ई.सुपरविजन	डिप्लोमाधारी	
49	बी.ई.सुपरविजन	डिप्लोमाधारी 5 वर्ष का अनुभव	
50	अकुशल श्रमिक		
51	अर्द्व कुशल श्रमिक		
52	कुशल श्रमिक		
53	उच्च कुशल श्रमिक		
54	ग्रेडर / सैम्पलर		
55	ग्रेडर / सैम्पलर अनुभवी	5 वर्ष का अनुभव	
56	आपरेटर क्रेट वासर		
57	आपरेटर क्रेट वासर अनुभवी	5 वर्ष का अनुभव	
58	स्टोर कीपर / समिति / प्लान्ट		
59	स्टोर कीपर / समिति / प्लान्ट अनुभवी	5 वर्ष का अनुभव	
60	आपरेटर छाछ / दही / लस्सी		
61	आपरेटर छाछ / दही / लस्सी अनुभवी	5 वर्ष का अनुभव	
62	बागवानी कार्य	5 वर्ष का अनुभव	
63	स्वीपर कार्य	5 वर्ष का अनुभव	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता